

निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत, सेवा में देरी पर स्वतः अपील की व्यवस्था

इन्वेस्ट यूपी ने डीरेगुलेशन 2.0 के तहत तैयार की 23 प्रमुख सुधारों की कार्ययोजना, प्रदेश के सभी कानून, शासनादेश व नीतियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी उपलब्ध

अमर उजाला व्यूरो	उद्योगों को मिलेगा।	ही इसमें दस्तावेजों की टेक्स्ट व्यवस्था बनाई जा रही है। यदि कोई विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा या मंजूरी नहीं देता है, तो मामला स्वतः अपील के रूप में अगले सक्षम अधिकारी के पास पहुँच जाएगा। इस प्रणाली का डिजाइन तैयार हो चुका है और विकास कार्य जारी है। इन्वेस्ट यूपी के अनुसार, डिजिटल रिपॉजिटरी और निवेश मित्र 3.0 पर ऑटो	अपील प्रणाली लागू करने की समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई है।	त्रिपुरा द्वारा पुराने कानूनों की समीक्षा तथा ब्रिटेन के रेगुलेटर्स कोड का भी उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल और उद्योग अनुकूल बनाना है। इन प्रस्तावों के लागू होने के बाद निवेशकों को विभिन्न विभागों के नियमों और शासनादेशों की जानकारी के लिए अलग-अलग वेबसाइटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी ने कारोबार शुरू करने और औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से डीरेगुलेशन 2.0 के तहत 23 प्रमुख सुधारों की कार्ययोजना तैयार की है। इनमें दो ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका सीधा लाभ निवेशकों और	पहला प्रस्ताव प्रदेश के सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, शासनादेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और नीतियों का एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी तैयार करने का है। इसके लिए शासनादेश यूपी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है। पोर्टल को नया स्वरूप देने के साथ	आधारित खोज की सुविधा भी होगी, ताकि किसी भी कानून या शासनादेश से संबंधित जानकारी एक ही मंच पर आसानी से प्राप्त की जा सके। दूसरा प्रस्ताव राइट टू सर्विसेज के तहत ऑटो अपील सिस्टम विकसित करने का है। इसके लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल पर नई	अपील प्रणाली लागू करने की समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इन्वेस्ट यूपी ने अपनी कार्ययोजना में अन्य राज्यों और देशों की सफल व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। हरियाणा में लागू ऑटो अपील प्रणाली को उदाहरण के रूप में शामिल किया गया है, जहाँ सेवाओं में देरी होने पर अपील स्वतः दर्ज हो जाती है। इसी प्रकार,	त्रिपुरा द्वारा पुराने कानूनों की समीक्षा तथा ब्रिटेन के रेगुलेटर्स कोड का भी उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल और उद्योग अनुकूल बनाना है। इन प्रस्तावों के लागू होने के बाद निवेशकों को विभिन्न विभागों के नियमों और शासनादेशों की जानकारी के लिए अलग-अलग वेबसाइटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।